

प्रेषक :- जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
बांसवाड़ा (राज.)

प्रेषिति :-

1. न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बांसवाड़ा।
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बांसवाड़ा।
3. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष पोक्सो न्यायालय, बांसवाड़ा।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा/कुशलगढ़।
5. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा।
7. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा।
8. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशलगढ़/बागीदौरा।
9. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटोल।
10. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा/बागीदौरा/गढ़ी/आनन्दपुरी।
11. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा।
12. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, गढ़ी/तलवाड़ा।

विषय :- Regarding framework about training on Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023.

प्रसंग :- माननीय राजस्थान स्टेट ज्युडिशियल एकेडमी, जोधपुर के पत्रांक RSJA/Acy/Trng/2024/432 Dated 05.03.2024 एवं इस कार्यालय के पृष्ठांकन 1790 से 1808 दिनांक 05.03.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राजस्थान स्टेट ज्युडिशियल एकेडमी, जोधपुर के उक्त प्रासंगिक पत्र में दिए गए निर्देशों की पालना में "Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023" के संबंध में विस्तृत चर्चा के क्रम में दिनांक 22.04.2024 से 25.04.2024 तक कार्यालय समय पश्चात् दोपहर 01 पी.एम. से 02 पी.एम. के मध्य में जरिये विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की जानी प्रस्तावित हैं। बांसवाड़ा न्यायक्षेत्र में पदस्थापित समस्त न्यायिक अधिकारीगण उक्त दिनांक को निर्धारित समय पर जरिये विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे। दिनांक 22.04.2024 से 25.04.2024 के मध्य होने वाली विडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में निम्नांकित न्यायिक अधिकारी द्वारा Indian Evidence Act के निम्न अध्याय/विन्दू पर व्याख्यान दिया जावेगा :-

क्र.स.	न्यायिक अधिकारी का नाम मय पद	व्याख्यान दिए जाने की दिनांक	अध्याय/विन्दू जिस पर व्याख्यान दिया जावेगा
1.	श्रीमती पल्लवी बोहरा, अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा	दिनांक 22.04.2024 से दिनांक 25.04.2024 तक की अवधि में	<b>PART - IV</b> <b>CHAPTER X</b> साक्षियों की परीक्षा के विषय में <b>CHAPTER XI</b> साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में <b>CHAPTER XII</b> निरसन और व्यावृत्ति

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित लिंक सभी पीठासीन अधिकारी के वॉट्सएप पर पृथक से प्रेषित कर दी जावेगी। साथ ही उक्त अवधि में अवकाश पर रहने वाले न्यायिक अधिकारीगण उक्त ट्रेनिंग प्रोग्राम (जरिये विडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से) में आवश्यक रूप से जुड़े, जिससे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान ज्युडिशियल एकेडमी के आदेश की पालना की जा सके।

भवदीय,

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक : 18.04.2024

क्रमांक/स्था./2024/2817

प्रतिलिपि सिस्टम असिस्टेंट, जिला एवं सेशन न्यायालय, बांसवाड़ा को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
बांसवाड़ा (राज.)